प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः—ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना....... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....308/2023 दिनांक...........22/12/2023

2. (1) अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)धारा—7, 7ए
(2) अधिनियम— भारतीय दण्ड संहिता ....धारा — 120 बी
(3) अधिनियम...................................धारायें —...
(4) अन्य अधिनियम धारायें...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.................1054.समय..........3:00 PM..........
(ब) अपराध घटने का दिन ... सोमवार....दिनांक....18.12.2023
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 22.09.2023 समय 05.30 पीएम

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक — हस्तलिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थलः—कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ जिला भीलवाड़ा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—बजानिब चौकी कोटा से पश्चिम—दक्षिण दिशा में करीब 105 कि.मी.
(ब) 'पताः— कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ जिला भीलवाड़ा
जरायम देही संख्या.....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना —

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :—
(अ) नामः—श्री संजय राठौड़
(ब) पिता का नाम — श्री रामस्वरुप
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.—भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...जारी होने की तिथी................
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय—व्यवसाय
(ल) पता — आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा मोबाइल नं. 9829080944

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—

(1) श्री महेश गगोरिया पुत्र श्री भैरूलाल गगोरिया जाति रैंगर उम्र 27 साल निवासी शिव कुटीर शास्त्री नगर कांकरोली, राजसमंद हाल उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मांडलगढ जिला भीलवाड़ा।

(2) श्री राहुल धाकड़ पुत्र श्री भूदेव सिंह उम्र 32 साल निवासी बझेरा कलां तहसील वैर जिला भरतपुर हाल तहसीलदार, तहसील मांडलगढ जिला भीलवाड़ा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः—................................ शून्य..

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....50000/— रूपये...

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 22.09.2023 समय 5.30 पीएम को परिवादी श्री संजय सिंह राठौड पुत्र श्री रामस्वरूप जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा ब्यूरो कार्यालय कोटा में उपस्थित हुआ तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी आदित्य आवास बजरंग नगर में निवास करता हैं। मेरे ससुर श्री चन्द्रवीर सिंह शक्तावत ग्राम श्यामपुरा पंचायत समिति बिजोलिया तहसील मांडलगढ थे जिनका प्रथम विवाह श्रीमती बिमला भदौरिया से हुआ जिनकी एक बेटी हैं जिसका नाम दर्पण है। दर्पण से मेरा विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे ससुर ने बिना तलाक के दूसरा विवाह श्रीमती कमलेन्दु कंवर से कर लिया। मेरी सास की नौकरी झालरापाटन हॉस्पीटल में होने के कारण मेरी सास बिमला भदौरिया अधिकतर हमारे पास ही आती जाती थी । इसलिए रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ही रहने लग गई। मेरे ससुर की मृत्यु जुलाई 2022 में हो जाने के कारण मेरे ससुर की दूसरी पत्नी कमलेन्दु कंवर ने सरपंच, व तहसीलदार(पूर्व) सीमा बघेल से मिल कर अपने आप को मेरे ससुर जी की वारिस बता कर मेरे ससुर जी चन्द्रवीर सिंह जी की सम्पूर्ण कृषि भूमि पटवार हल्का श्यामपुरा के खाता संख्या 124 की आराजी संख्या 1000,1019, 891,892,893,894,898,8999,900,901,902,903 तथा खाता संख्या 123 के आराजी संख्या 1692,1693, 1695,1697,1698, 1699,1700,1701,1702, 1703,1704,1771,1772 के कागजातों में कमलेन्दु कंवर का स्वयं

दर्पण थी। उक्त दोषपूर्ण कार्यवाही के विरोध में मेरी सास श्रीमती बिमला भदोरिया ने एसडीएम ऑफिस माण्डलगढ से उक्त भूमि में यथास्थिति का स्टे आदेश ले रखा है। वर्तमान में माण्डलगढ तहसील में पदस्थापित राहुल धाकड, तहसीलदार मुझे बार बार बोल रहा है कि यह स्टे तो हटेगा। यदि स्टे जारी रखवाना है, तो एसडीओ साहब व मुझे रूपये देने पडेंगे। ऐसा कहकर उक्त राहुल तहसीलदार मेरे से 200000 (दो लाख रूपये) की मांग कर रहा हे। मैं मेरे वैध काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ तथा गलत तरीके से रिश्वत कें रूपये मांगने वाले कर्मचारी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरा उक्त राहुल धाकड तहसीलदार से कोई द्वेश या पूर्व का झगडा नहीं है। "परिवादी संजय सिंह राठौड ने पूछताछ पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। तहसीलदार श्री राहुल धाकड से मैं जब भी मिला तो उसने मुझे बताया कि स्टे तो हटेगा यदि जारी रखना है तो सेवा करनी पडेगी मैं एसडीएम से बात कर लूंगा स्टे नहीं हटेगा। यह कहकर 2 लाख रूपये की मांग कर रहा है। दिनांक 27.09.2023 को मेरे प्रकरण में एसडीएम ऑफिस मांडलगढ में सुनवाई है। तब मैं वहां जाउंगा उसी समय तहसीलदार मेरे से रूपयों की मांग करेगा। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत मांग का होना पाया जाने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलाया एवं परिवादी संजय सिंह राठौठ से उसका परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 22.09.2023 समय 6.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री संजय सिंह राठौड पुत्र श्री रामस्वरूप जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा को मेरे चेम्बर में लेकर आया व परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति बनेगी तद्नरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी से रूपयों की मांग करने वाले तहसीलदार के सत्यापन की कार्यवाही की तैयारी के लिए परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में आने की समझाईश कर रवाना किया गया। आइंदा शिकायत का सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 26.09.2023 समय 5.30 पीएम पर परिवादी संजयं सिंह राठौड ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ जिसको डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि अच्छी तरह बताई गई तथा रिकार्डर उसके हाथ में देकर समझाया गया। मन पुलिस निरीक्षक देशराज द्वारा परिवादी का परिचय श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को अंकित करवाये गए । परिवादी ने बताया है कि मेरी दिनांक 27.09.2023 को मांडलगढ एसडीएम कार्यलय में तारीख है । इसलिए मैं कल ही वहां तहसीलदार से मिलूंगा । मुझसे मिलते ही तहसीलदार मुझ से रूपयों की पुनः मांग जरूर करेगा। मांडलगढ के लिए दिनांक 27.09.2023 को सुबह करीब 10 बजे रवाना हो जाउंगा। इस पर परिवादी को दिनांक 27.09.2023 को 10 एएम से पूर्व ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु समझाईश कर रवाना किया गया।

दिनांक 27.09.2023 को समय 9.35 एएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री बृजराज कानि 159 से मालखाना खुलवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर लिकलवाकर एवं मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चैक किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि अच्छी तरह परिवादी को पुनः बताई गई तथा रिकार्डर परिवादी के हाथ में देकर ऑपरेट करना समझाया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री बृजराज कानि 159 को सुपुर्द कर मांडलगढ पहुॅच कर गोपनीय सत्यापन करने के लिए दोनों को हिदायत की गई । फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। समय 9.45 एएम पर परिवादी संजय सिंह राठौर ने बताया कि मेरे साथ मेरी गाडी में मेरे वकील साहब भी जाएंगे जिनको शक हो जाएगा, तो हमारी बात लीक हो सकती है । इसलिए बृजराज सिंह कानि 159 को अलग साधन से माडलगढ पहुॅचने तथा वहां पर पहुॅचने के बाद परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित कर दोनों को रवाना किया गया। समय 3.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर श्री बृजाराज सिंह कानि 159 के मोबाईल नं से कॉल आया जिसने मेरी बात परिवादी श्री संजय सिंह से करवाई तो परिवादी ने मुझे बताया कि " तहसीलदार साहब राहुल धाकड मुझे तहसील में मिल गए थे, जिसने एसडीएम कोर्ट में चल रहे हमारे केस के बारे में वार्ता कर मुझे कहा है कि सामने वाली पार्टी 50 हजार ऑफर करके गई है । आप उतना ही कर दोगे तो स्टे लगा रहेगा । इसके लिए मैं एसडीएम साहब से बात कर लूंगा। "इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अब मेरे से एसडीएम के लिए 50 हजार रूपये की मांग की जा रही है। जो डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गई है। इसके बाद मैंने वाईस रिकार्डर तहसील में साईड में जाकर बंद कर लिया था, जो मैंने मय मैमोरी कार्ड के वापस बृजराज जी को दे दिया है। परिवादी ने बताया कि मैं मेरे साथ कोटा से आए वकील साहब के साथ ही जाउंगा तथा कोटा पहुॅचने में काफी देरी हो जाएगी । इसलिए मैं आपके ऑफिस में नहीं आ पाउंगा। इस पर श्री बृजराज कानि 159 को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित लाने की हिदायत की गई। समय 7.05 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय कोटा में श्री बृजराज कानि 159 ने उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के पेश कर बताया कि निर्देशानुसार मैं डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर मांडलगढ तहसील के पास पहुॅचा ।

जहां परिवादी संजय सिंह राठौर उपस्थित मिला। परिवादी को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर दिया । मैं भी तहसील कार्यालय के आस पास ही मुकीम रहा तथा परिवादी संजय सिंह तहसील में अन्दर चला गया। करीब एक घंटे बाद परिवादी संजय सिंह राठौर मेरे पास आया और डिजिटल वाईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड के मुझे बंद अवस्था में देकर बताया कि "मैंने तहसील में घुसते ही डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर लिया था मैं तहसील में गया तो तहसीलदार राहुल धाकड वहां मुझे मिल गया। जिससे मैंने एसडीएम कोर्ट में चल रहे हमारे केस के बारे में बात की तो तहसीलदार साहब राहुल धाकड ने कहा कि दूसरी पार्टी स्टे हटवाने के लिए आई थी तथा बोल रहे थे कि जो भी है वो हम कर जावेगे"। फिर मैंने स्टे नहीं हटने देने के लिए निवेदन किया तो तहसीलदार ने कहा कि "सामने वाली पार्टी 50 हजार ऑफर करके गई है आप उतना ही कर दोगे तो स्टे लगा रहेगा। "इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अब मेरे से एसडीएमके लिए 50 हजार रूपये की मांग की है। रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्डिंग के बाद मैं तहसीदार के पास से बाहर आ गया तथा मैंने साईड में जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को बंद कर दिया था। हमारे बीच हुई सभी वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। "परिवादी ने उक्त वार्तालाप के दौरान हुई समस्त वार्ताऐं डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड होना बताया है। इसके बाद संजय सिंह राठौर ने मुझे बताया कि मेरे साथ वकील साहब है मैं उनके साथ पर्सनल गाडी से कोटा जाउंगा। हमारे केस में अगली तारीख जनवरी 2024 में पडेगी। मै वाईस रिकार्डर सुरक्षित मेरे पास रख कर लाया हूँ। मन निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्ड को लेपटॉप में चलाकर सुना तो बृजराज कानि 159 एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी होना पाया गया तथा आरोपी तहसीलदार द्वारा जमीन का स्टे ताफैसला जारी रखने में मदद के लिए परिवादी से 50000 रूपये की मांग करने की पुष्टी हुई है। परिवादी को पुनः तलब कर ट्रेप कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज कानि 159 से सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 03.10.2023 को समय 06.30पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड के मोबाईल नं. 9829080944 से कॉल आया कि उसके व्यक्तिगत काम के कारण वह ब्यूरो कार्यालय नहीं आ पाया है। तथा तहसीलदार राहुल धाकड ने जो रूपये मांगे हैं, उनको लेने के लिए उसका कॉल भी नहीं आया है। इसलिए मेरे पास जैसे ही तहसीलदार का कॉल आएगा मैं तुरंत आपके कार्यालय में आ जाउंगा।

दिनांक 10.10.2023 को समय 03.58 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड ने मोबाईल नं. 9829080944 से कॉल कर बताया कि मांडलगढ तहसीलदार का फोन रिश्वत राशि के संबंध में कभी भी आ सकता है । इस पर परिवादी को कार्यालय हाजा में आने की हिदायत दी गई। समय 04.10पीएम पर परिवादी की शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री बृजराज कानि159 को पत्र कमांक 2322 दिनांक 10.10.2023 देकर गवाह हमराह लाने हेतु अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल प.व.स. कोटा रवाना किया गया। समय 04.45 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए है जिसने बताया कि मैं मेरे पारिवारिक कार्याक्रमों में व्यस्त होने के कारण में आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया था। तहसीलदार मांडलगढ का फोन कभी भी आ सकता है। समय 04.55 पीएम पर श्री बृजराज सिंह कानि 159 दो स्वतंत्र गवाहान श्री मूलचंद मेघवाल पुत्र श्री रामदेव जाति मेघवाल उम्र 42 साल शर्मा किराना स्टोर के पास शिवपुरा कोटा थाना दादाबाडी हाल सीए प्रथम, कार्यालय एक्सईएन डीडी कोटा एवं श्री विकाश गुप्ता पुत्र श्री दामोदर लाल जाति महाजन उम्र 41 साल निवासी 131 समृद्धी नगर विस्तार थाना बोरखेडा हाल सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा के ब्यूरो कार्यालय कोटा को हमराह लेकर उपस्थित आया । उपरोक्त दोनों कार्मिकों से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों कार्मिकों ने कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की मौखिक सहमति दी। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय में उपस्थित परिवादी का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा एसीबी को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया दोनों स्वतंत्र गवाहों ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.10पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मूलचंद मेघवाल सीए प्रथम, कार्यालय एक्सईएन डीडी कोटा एवं श्री विकाश गुप्ता सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा की मौजूदगी में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज सिंह कानि 159 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 27.09.2023 को परिवादी व आरोपी राहुल धाकड के मध्य रिश्वत मांग वार्ता का गोपनीय सत्यापन करवा लिया गया है। उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। श्री बृजराज सिंह कानि 159 द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॅप में अटैच करवाकर रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी राहुल घाकड तहसीलदार मांडलगढ की एवं अन्य आवाज अपने दोस्त अनामिका शरण की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि 159 से दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी

के समक्ष हुबहू लेपटॅप में टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवायी गई। फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 08.10 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर ने बताया कि एसडीएम कोर्ट माडलगढ में हमारे जमीन के केस की अगली सुनवाई की तारीख जनवीर 2024 में है। मैं अभी तहसीलदार को कॉल करूंगा तो उसे शक हो जावेगा। इसलिए मैं कुछ दिन इंतजार करता हूँ। मुझे विश्वास है कि तहसीदार रिश्वत मांगने के लिए स्वयं ही मुझे कॉल करेगा। उसका कॉल आते ही मैं आपको ब्यूरो कार्यालय में सूचना दे दूंगा। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को बुलाने पर तुरंत कार्यालय आने की एवं प्रकरण के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित वापस मालखाने में श्री बृजराज कानि 159 से रखवाया गया।

दिनांक 19.10.2023 को समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड के मोबाईल नं. 9829080944 पर मन पुलिस निरीक्षक ने कॉल करके तहसीलदार मांडलगढ भीलवाडा राहुल घाकड द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मांग के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया है कि मेरी राहुल घाकड तहसीलदार से मोबाईल फोन पर बात हुई तो उसने बताया है कि अभी चुनाव का काम चल रहा है इसलिए उसने मुझे चुनाव बाद आने के लिए कहा है। हमारे केस में तारीख भी लेट है इसलिए वह चुनाव बाद ही मेरे से रिश्वत राशि लेगा।

दिनांक 09.12.2023 को समय 02.22पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड के मोबाईल नं. 9829080944 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल आया व परिवादी ने बताया कि मैंने एक दो दिन पहले श्री राहुल घाकड तहसीलदार मांडलगढ भीलवाडा को कॉल करके मेरे केश में ताफैसला स्टे करवाने के लिए अर्ली हीयरिंग की एप्लीकेशन लगाने के बारे में बात की तो राहुल घाकड ने मुझ से कहा कि अपने बीच जो बात हुई थी, उसके बारे में मैंने एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि यह कम है। मैंने आपको जो राशि पहले बताई थी, एसडीएम साहब ने उससे तीन गुना राशि की मांग की है। आप सोमवार तक आजाओ मैं आपको सीधे ही एसडीएम साहब से मिलवा दूंगा। आप बात कर लेना। परिवादी ने बताया कि मुझे लगता है कि एसडीएम साहब मेरे से सीधे ही रिश्वत राशि की बात कर राशि प्राप्त कर लेंगे। इस पर परिवादी सोमवार दिनांक 11.12.2023 को प्रातः 9 बजे कार्यालय में रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक लाख पचास हजार रूपये लेकर उपस्थित होने की हिदायत की गई। परिवादी श्री संजय सिंह राठौड ने कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया है सोमवार दिनांक 11.12.2023 को मांडलगढ तहसीलदार या एसडीएम मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। इसलिए दिनांक 10.12.2023 को समय 4.05पीएम पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में पूर्व में पाबंदशुदा गवाह श्री मूलचंद मेघवाल हाल सीए प्रथम, कार्यालय एक्सईएन डीडी कोटा एवं श्री विकाश गुप्ता हाल सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा के ब्यूरो कार्यालय कोटा से जर्ये टेलीफोन वार्ता कर उनको दिनांक 11.12.2023 को प्रातः समय 9 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 11.12.2023 को समय 10.10 एएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड कार्यालय हाजा में उपस्थित हुए व परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास केवल 50 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। इसलिए मैं 50 हजार रूपये ही लाया हूँ। दिनांक 11.12.2023 को समय 10.25 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में पूर्व में पाबंदशुदा गवाह श्री मूलचंद मेघवाल हाल सीए प्रथम, कार्यालय एक्सईएन डीडी कोटा एवं श्री विकाश गुप्ता हाल सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा, ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिनको की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही से अवगत करवाया गया। उक्त गवाह एवं परिवादी के समक्ष मालखाने में सुरक्षित रखे वाईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर उक्त वाईस रिकार्ड में लगे मैमोरी कार्ड को निकाल का सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया तथा वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए नवीन मैमोरी कार्ड मालखाना से निकलवा कर वॉईस रिकार्डर में लगवाया गया। दिनांक 11.12.2023 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड पुत्र श्री रामस्वरूप जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा ने आरोपी राहुल घाकड तहसीलदार तहसील मांडलगढ जिला भीलवाडा को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50000/– रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं–

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 ET 144666
2	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 BM 563654
3	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 AE 607842
4	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 BB 402084
5	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 VG 640593
6	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 EC 810377
7	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 DC 907656
8	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 MM 214976
9	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 NM 760128

10	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 BL 833532
11	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 DR 041041
12	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 MF 072909
13	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 PK 661605
14	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 RD 265465
15	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 QB 881737
16	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 BU 663823
17	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 CP 120396
18	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 ER 898697
19	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 DV 950134
20	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 EU 430071
21	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 MN 890984
22	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 RK 551964
23	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 NU 022347
24	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 TP 634619
25	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 KF 878725
26	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 LC 012319
27	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 BF 647242
28	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 QM 476112
29	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 FV 588398
30	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 WE 556604
31	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 RV 648652
32	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 RT 234443
33	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 ET 649514
34	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 EA 726913
35	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 DW 899025
36	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 NH 405776
37	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 NW 377619
38	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 TE 513995
39	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 FP 143044
40	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 DP 424331
41	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 PA 619345
42	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 QD 854324
43	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 TT 394412
44	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 AA 392914
45	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 HC 734974
46	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 CB 033744
47	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 AU 448587
48	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 BC 391370
49	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 LE 721953
50	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 TA 969458
51	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 MT 929131
52	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 AE 607841
53	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 ET 061135
54	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 BP 732682
55	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 HT 087064
56	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 DG 459255
57	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 TL 927102
58	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 FA 385015
59	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 KS 328008
60	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 BS 852710
61	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 DG 483580
62	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 BE 007844

63	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 DW 342601
64	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 EH 507855
65	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 NU 771503
66	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 GG 673179
67	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 MW 892180
68	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 FN 103498
69	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 KC 182731
70	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 UG 192670
71	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 UG 192671
72	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 GT 997542
73	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 RH 090906
74	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 PR 969986
75	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 TL 615082
76	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 PR 888383
77	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 BC 761610
78	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 QC 950723
79	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 FM 164523
80	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 CD 435974
81	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 KK 631914
82	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 RN 112471
83	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 PG 886288
84	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 FS 240936
85	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 AN 336122
86	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 NU902459
87	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 EK 363450
88	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 DV 280500
89	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 NM 158230
90	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 BF 786152
91	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 DR 891950
92	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 DU 287242
93	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 MG 135912
94	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 MS 084966
95	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 KP 356602
96	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 HB 504045
97	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 DC 236903
98	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 KV 643926
99	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 TL 722797
100	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 US 036166

श्रीमती सरोज गौड महिला कानि. नं. 104 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री संजय सिंह राठौड की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये भारतीय मुद्रा के पांच– पांच रूपये के 100 नोट कुल 50 हजार रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्रीमती सरोज कानि. 104 से रखवाये गये।इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती सरोज कानि. 104 के हाथ की फनॉफथलीन पाउडर लगी उंगलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। उक्त घोल को बाहर फिंकवाया गया व जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उस अखबार एवं काम में लिए गए डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया व फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, श्रीमती सरोज महिला कानि. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की

हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी से हाथ नहीं मिलावें तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें । आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के केस के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मेरे मोबाईल पर मिसकॉल करके या अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी या मेरी तरफ ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की कि रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी संजय सिंह राठौड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। हमराही ट्रेप पार्टी के समस्त जाप्ता तथा स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से घुलवाए गए। फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत नियमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड एवं एसीबी स्टाफ नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144, योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को परिवादी के वाहन सेलेरिया मारूती कार से मांडलगढ रवाना किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री मूलचंद मेघवाल, विकाश गुप्ता मय एसीबी स्टाफ श्री बबलेश कानि 261, लालचंद कानि 30 के मय अनुसंधान बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप कार्यवाही में काम आनेवाले उपकरणों सहित सरकारी वाहन बोलेरो से मांडलगढ रवाना हुआ। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड एवं एसीबी स्टाफ नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144, योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को परिवादी के वाहन सेलेरिया मारुती कार से रवानाशुदा मांडलगढ चौराहे के पास उपस्थित मिले, जहां परिवादी को समझाईश कर रिश्वत देने हेतु आरोपी राहुल धाकड के कार्यालय के लिए उसके स्वयं के वाहन से रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे पीछे सरकारी वाहन से रवाना होकर आरोपी के कार्यालय के आस पास पहूँचा, जहां अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात परिवादी द्वारा किए जाने वाले इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। समय 03.05 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड बिना इशारा किए मन पुलिस निरीक्षक के पास वापस आया व उसने बताया कि मैं रवाना होकर राहुल धाकड तहसीलदार के कार्यालय में पहुँचा जहां पर राहुल तहसीलदार मुझे उपस्थित मिला जो काम में व्यस्त था । मैंने थोडी देर इन्तजार किया व फिर उसके फ्री होने के बाद मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू करके उसके पास उसके कक्ष में गया तथा मेरे काम संबंधी वार्ता की तो राहुल धाकड ने कहा कि एसडीएम साहब आपके काम के लिए वन प्वांईट फाईव की कह रहे है। अभी वो छुटटी पर है । अगले सोमवार को आ जाना मैं आपकी एसडीएम साहब से सीधी वार्ता करवा दूंगा। उसने पूर्व में मांगी रिश्वत राशि मेरे से नहीं ली है वह सोमवार को ही रिश्वत राशि लेगा। इसके बाद मैंने तहसीलदार के कार्यालय से बाहर आकर रिकार्डर बंद कर लिया था। इस पर वहां से रवाना होकर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व हमराही जाप्ते के मांडलगढ चौराहे के लिए रवाना हुआ। समय 03.20 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ते के मांडलगढ चौराहे पर पहूँचा, जहां परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्ड प्राप्त किया तथा परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि 50 हजार रूपये को गवाह श्री विकास गुप्ता से निकलवाया जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवा कर रिश्वत राशि मय लिफाफा एवं डिजिटल वॉईस रिकार्ड को श्री विकास गुप्ता के पास रखवाया गया । मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराही एसीबी जाप्ता मय प्रिन्टर लेपटॉप व ट्रेप बॉक्स के सरकारी वाहन बोलेरो एवं परिवादी के वाहन मारूती सेलेरियो पूर्ववत प्रथक प्रथक एसीबी कार्यालय कोटा के लिए रवाना हुआ। जो समय 07.00 पीएम पर एसीबी ऑफिस कोटा पंहुचा, जहां स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता के पास रखी रिश्वत राशि एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह कानि 159 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। समय 07.10 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह को हिदायत दी गई कि आरोपी तहसीलदार को फोन आने पर तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करें तथा स्वतंत्र गवाहान को आवश्यकता पडने पर जर्ये टेलीफोन बताने पर आप कार्यालय में तुरन्त उपस्थित होवें एवं प्रकरण की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर परिवादी संजय सिंह राठौर एवं गवाहान विकास गुप्ता एवं मूलचंद मेघवाल को रूखसत किया गया। दिनांक 17.12.2023 को समय 06.56 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह का कॉल मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर आया व परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरी तहसीलदार राहुल धाकड से बात हुई है। उसने बताया है कि एसडीएम साहब छुटटी से आ गए है आप कल आ जाओ । मैं आपको एसडीएम साहब से मिलवा दूंगा आप स्वयं ही बात कर लेना। मुझे लगता है कि एसडीएम श्री महेश गगोरिया कल सोमवार को मुझ से तहसीलदार के जर्ये मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इस पर परिवादी श्री संजय सिंह को दिनांक 18.12.2023 को 10 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई। समय 10.05 पीएम पर इसलिए कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री विकास गुप्ता एवं मूलचंद मेघवाल को जर्ये मोबाईल फोन कल दिनांक 18.12.2023 को सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई।

दिनांक 18.12.2023 को समय 08.35 एएम पर ट्रेप कार्यवाही का पूर्व से पाबंदशुदा गवाह श्री मूलचंद मेघवाल से जर्ये मोबईल फोन वार्ता की तो स्वतंत्र गवाह ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने

के कारण मैं आज कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकता हूं। मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। समय 10.35एएम पर परिवादी श्री संजय सिंह एवं स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता पृथक–पृथक कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि तहसीलदार एवं एसडीएम श्री महेश गगोरिया आज एसडीएम कार्यालय में ही उपस्थित मिल जाएगें। वो मुझसे आज रिश्वत राशि ग्रहण कर सकते है। स्वतंत्र गवाह श्री मूलचन्द मेघवाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की इसलिए समय 11.15एएम पर श्री नारायण सिंह गोरसिया अधीक्षण अभियंता जयपुर वि.वि.नि.लि. कोटा वृत्त कोटा को टेंलीफोन कर कार्यवाही हेतु मूलचंद मेघवाल के स्थान पर दूसरा कर्मचारी भिजवाने हेतु बताया गया। जिस पर समय 11.40 एएम पर श्री धनराज गौड पुत्र श्री स्व. श्यामलाल गौड जाति ब्राहम्मण उम्र 48 साल निवासी 1010 महावीरनगर प्रथम कोटा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षक अभियंता कोटा वृत्त जयपुर डिस्कॉम कोटा कार्यालय हाजा में उपस्थित हुए श्री धनराज गौड ने बताया कि मैं श्री मूलचन्द मेघवाल के स्थान पर आया हूँ। इस पर श्री धनराज गौड को ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर बतौर स्वतंत्र गवाह ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की स्वीकृति चाही गई तो श्री धनराज गौड ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की । आरोपी श्री राहुल घाकड तहसीलदार की ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अब तक कीगई कार्यवाही से श्री धनराज गौड को अवगत कराया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 22.09.2023 को एसीबी को पेश की गई शिकायत के प्रार्थना पत्र को पढाया गया। गवाह श्री धनराज गौड ने उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पढ कर अपने हस्ताक्षर किए। समय 12.10 पीएम पर मालखाने में सुरक्षित रखे डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं रिश्वत राशि मय लिफाफे को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह कानि 159 से निकलवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती सरोज महिला कानि 104 से रिश्वत राशि को लिफाफे से बाहर निकलवाया जाकर परिवदी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से रास्ते में हाथ नहीं लगावें। आरोपी द्वारा मांगे जाने पर ही निकाल कर देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। इसके उपरान्त परिवादी के अलावा श्री बृजराज सिंह हैड कानि 144 व श्रीमती सरोज महिला कानि 104 व समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाए गए। श्री सरोज महिला कानि को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत की गई। परिवादी श्री संजय सिंह राठौर को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि पुनः समझाई जाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वक्त रिश्वत लेनदेन एवं अपने कार्य संबंधी स्पष्ट वार्ता करें तथा आरोपी के साथ होने वाली समस्त वार्ता का रिकार्डर में रिकार्ड करें एवं आरोपीगण द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक या एसीबी टीम की तरफ अपने सिर पर दोनों हाथ फेर कर ईशारा करें। समय 12.20 पीएम पर श्री लालचंद कानि 30 मय सरकारी वाहन टवेरा के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा से कार्यालय हाजा उपस्थित आया। समय 12.50 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड को उसकी निजि कार से एवं श्री नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144 एवं योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को प्राईवेट वाहन से आगे आगे माडलगढ रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज गौड व श्री विकाश गुप्ता मय एसीबी स्टाफ श्री बबलेश कानि 261, लालचंद कानि 30 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री तंवर सिंह 506 के मय अनुसंधान बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप कार्यवाही में काम आनेवाले उपकरणों सहित परिवादी के पीछे पीछे मांडलगढ रवाना हुआ। समय 02.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री संजय सिंह राठौड एवं एसीबी स्टाफ मय स्वतंत्र गवाहान के मांडलगढ चौराहे के पास पहुँचा। जहां परिवादी को समझाईश कर रिश्वत देने हेतु आरोपी राहुल घाकड के कार्यालय उसके स्वयं के वाहन से रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे पीछे सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से रवाना होकर आरोपी के कार्यालय के आस पास पहूँचा जहां अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात परिवादी द्वारा किए जाने वाले इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। समय 03.05 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौड बिना इशारा किए मन पुलिस निरीक्षक के पास वापस आया व उसने बताया कि मैं राहुल घाकड तहसीलदार के कार्यालय में पहूँचा जहां पर राहुल तहसीलदार मुझे उपस्थित नहीं मिला जिसको मैंने वाटसएप कॉल किया तो उसने बताया है कि मैं अभी कैम्प में बाहर आया हुआ हूँ आप एसडीएम साहब से मिल लो तो मैंने उससे कहा कि एसडीएम साहब भी ऑफिस में नहीं है। तो उसने कहा कि वो भी शायद कैम्प में आ रहे होंगे। डेड–दो घण्टे बाद मैं व एसडीएम साहब ऑफिस आ जाऐंगे आप इंतजार करो। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहा एवं हमराही जाप्ते के आरोपीगण के आने की प्रतीक्षा में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ से थोडी दूरी पर गोपनीय स्थान पर पहूँच मुकीम हुआ। परिवादी को हिदायत दी गई कि एसडीएम कार्यालय के आस पास रहकर तहसीलदार एवं एसडीएम के आते ही मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें। समय 05.17 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी संजय सिंह को कॉल कर तहसीलदार एवं एसडीएम के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले तहसीलदार राहुल घाकड से मेरी वाटसएप कॉल पर बात हुई है उन्होंने बताया है कि एसडीएम साहब ऑफिस में थोडी देर में पहूँच रहे हैं मैंने उनसे बात कर ली है आप सीधे ही उनसे मिल लेना नहीं तो थोडी देर में मैं भी आ रहा हूँ। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के गोपनीय स्थान से रवाना होकर

एसडीएम ऑफिस मांडलगढ के आस पास पहूँचा। समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर मन पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा उसने बताया कि तहसीलदार व एसडीएम श्री महेश गगोरिया उनके कार्यालय में आ गए है। इस पर परिवादी को रिश्वत राशि आरोपियों को देने हेतु आरोपीयों के कार्यालय में रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के इशारे की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए एसडीएम कार्यालय परिसर में गेट के आस पास मुकीम हुआ। समय 05.55 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर एसडीएम के चैम्बर से मैन गेट की तरफ भागता हुआ नजर आया जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसके पीछे से माडलगढ एसडीएम महेश गगोरिया, तहसीलदार राहुल धाकड, एक व्यक्ति होमगार्ड की वर्दी में व कुछ अन्य लोग भागते हुए दिखाई दिए। मै तुरन्त दौड कर परिवादी संजय सिंह की तरफ गया व एसीबी जाप्ते को पास आने का इशारा किया। मैंने संजय सिंह को बचाते हुए माडलगढ एसडीएम महेश गागोरिया, तहसीलदार राहुल घाकड, एक व्यक्ति होमगार्ड की वर्दी में व कुछ अन्य लोगों को अपना एसीबी निरीक्षक के रूप में परिचय दिया। परन्तु उक्त एसडीएम व तहसीलदार, ने परिवादी व मेरे साथ धक्का मुक्की व हाथापाई करने लगे तथा एसडीएम के साथ एक होमगार्ड लकडी लेकर परिवादी को मारने की कौशिश कर रहा था परन्तु मैंने परिवादी को अपने पीछे छुपाकर उसका बचाव किया तो एसडीएम महेश गगोरिया ने मेरे साथ धक्कामुक्की की तथा तहसीलदार राहुल धाकड ने मेरे साथ गाली गलोंच करते हुए मेरे उपर हमला करके मेरी गिरेबान पकड ली व मुझे जोर से धक्का मारा। मैंने अपने आप को सन्तुलित किया। इतने में मेरे साथ का जाप्ता वहां आ गया जिन्होंने मुझे व परिवादी को बचाया। इस दौरान वहां पर काफी भीड इकट्ठी हो गई थी। भीड का फायदा उठाकर तहसीलदार राहुल धाकड वहां से भाग गया। मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के एसडीएम महेश गगोरिया व परिवादी संजय सिंह राठौर को हमराह लेकर एसडीएम के चैम्बर में आ गया। जहां परिवादी संजय सिंह राठौर ने मुझे बताया कि जब मैं तहसीलदार राहुल धाकड के कहे अनुसार एसडीएम महेश गगोरिया के चैम्बर में गया तो एसडीएम साहब वहां उपस्थित थे। जिनसे मैंने मेरे केस के संबंध में ताफैसला स्टे लगवाने एवं तहसीलदार राहुल धाकड द्वारा मेरे काम की एवज में पूर्व में मांगे 50 हजार एवं बाद में बढा कर 1 लाख 50 हजार रूपये के संबंध में वार्ता की तथा एसडीएम साहब से कहा कि 50 हजार रूपये मैं लेकर आया हूँ बाकी का अर्ली हीयरिंग की तारीख पर कर दूंगा। तो उसने कहा कि आप परसों आना। उसी समय अचानक एसडीएम को मुझ पर कुछ शक हुआ तो उसने मेरा मोबाईल फोन छीन लिया तथा मेरे मोबाईल को देख कर एसडीएम महेश गगोरिया ने कहा कि तुम मुझे फसाने के लिए एसीबी से बात कर रहे हो। बुलाओ राहुल को । इस पर थोडी देर बाद तहसीलदार राहुल धाकड भी वहां आ गया तथा मुझे मारने के लिए एसडीएम ने होमगार्ड को बुलाकर डण्डा मंगवा लिया तथा तहसीलदार एवं एसडीएम मुझ से गाली गालोंच करने लगे तथा एसडीएम ने मुझे थप्पड मारा । इस पर मैं दोनों से अपने आप को छुडाते हुए एसडीएम के चैम्बर से बाहर भागा। हमारे मध्य हुई बातें रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर सुना तो परिवादी के कथनो की ताईद होती है। इस संबंध में मौके पर मौजूद आरोपी एसडीएम महेश गगोरिया से पूछा गया तो उसने बताया कि संजय सिंह को मैं पहले से नहीं जानता था यह आज ही पहली बार मुझ से मिला है। मैंने संजय सिंह से कोई रूपयों की मांग नहीं की है तथा ना ही मैंने उससे किसी प्रकार की मारपीट की है। आरोपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता एवं परिवादी के कथनों से मेल नही खाता है। एसडीएम व उनके साथियों द्वारा परिवादी एवं एसीबी जाप्ते के साथ की गई धक्कामुक्की व मारपीट तथा मोबाईल छीनने के संबंध में एफआईआर पृथक से माडलगढ थाने में दर्ज कराई गई। समय 06.40 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज गौड सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक अभियंता कोटा वृत्त जयपुर डिस्कॉम कोटा एवं श्री विकास गुप्ता सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा की मौजूदगी में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज सिंह कानि 159 से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॅप में अटैच करवाकर दिनांक 11.12.2023 को आरोपी राहुल धाकड एवं परिवादी संजय सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन प्रयास डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हुई वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी राहुल धाकड तहसीलदार मांडलगढ की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि 159 से दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष हुबहू लेपटॅाप में टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम नियमानुसार तैयार करवायी गई। फर्द रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 07.10 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज गौड सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक अभियंता कोटा वृत्त जयपुर डिस्कॉम कोटा एवं श्री विकास गुप्ता सीए द्वितीय कार्यालय एईन ग्रामीण कोटा की मौजूदगी में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज सिंह कानि 159 से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॅप में अटैच करवाकर दिनांक 18.12.2023 को आरोपीगण महेश गगोरिया एसडीएम व राहुल धाकड तहसीलदार तथा एवं परिवादी संजय सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन प्रयास डिजिटल

वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हुई वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री संजय सिंह राठौर ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी महेश गगोरिया एसडीएम तथा तीसरी आवाज आरोपी राहुल धाकड तहसीलदार मांडलगढ की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि 159 से दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष हुबहू लेपटॉप में टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय नियमानुसार तैयार करवायी गई। फर्द रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.12.2023 को समय 09.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज एवं विकास गुप्ता के समक्ष श्री संजय कुमार कनिष्ठ सहायक न्यायालय उप खण्ड अधिकारी माडलगढ जिला भीलवाडा ने परिवादी श्री संजय सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप जाति राजपूत निवासी आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा की सास श्रीमती बिमला भदौरिया पत्नी चन्द्रवीर सिंह बनाम कमलेन्द्र कंवर से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ भीलवाडा में चल रहे वाद संख्या 114/2022 की मूल पत्रावली पेज नं. 1 से 62 तक तथा प्रकरण संख्या 165/2022 की मूल पत्रावली पेज संख्या 1 से 45 तक की पेश की जिसे वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। पत्रावलियों की एक फोटो प्रति करवा कर श्री संजय कुमार कनिष्ठ सहायक को दी गई। समय 09.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज एवं विकास गुप्ता के समक्ष आरोपी महेश गगोरिया को दिनांक 18.12.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास के समय परिवादी संजय सिंह एवं आरोपी के महेश गगोरिया के मध्य हुई वार्ता में आरोपी की आवाज का विधि विज्ञान प्रयोग शाला में मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए नोटिस सर्व किया गया तो आरोपी महेश गगोरिया ने अपने हस्तलेख में लिख कर दिया कि "मैं स्वेच्छा से मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हॅं।" नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री संजय सिंह के ससुर चन्द्रवीर सिंह जी की जमीन से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माडलगढ भीलवाडा में चल रहे वाद में ताफैसला स्टे के संबंध में तहसीलदार राहुल धाकड द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना तथा एसडीएम महेश गगोरिया से बात करना आदि तथ्य सामने आए है। इसलिए आरोपी महेश गगोरिया एवं आरोपी राहुल धाकड के मध्य परिवादी से रिश्वत मांग के संबंध में महेश गगोरिया के फोन में कॉल रिकार्डिंग व चैट तथा मैसेज होने की संभावना होने से आरोपी महेश गगोरिया का मोबाईल फोन जर्ये फर्द जप्ती गवाहा श्री धनराज व श्री विकास गुप्ता के समक्ष समय 11.00 पीएम पर जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 11.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज एवं विकास गुप्ता के समक्ष परिवादी श्री संजय सिंह की निशादेही पर घटनास्थल रिश्वत लेनदेन प्रयास स्थल एसडीएम कार्यालय माडलगढ का नजरी निरीक्षण कर नक्शामौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं हमाराही जाप्ते के एसडीएम कार्यालय मांडलगढ से थाना मांडलगढ के लिए रवाना हुआ।

दिनांक 19.12.2023 को समय 12.10 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं हमाराही जाप्ते के एसडीएम कार्यालय मांडलगढ से थाना मांडलगढ के लिए रवानाशुदा थाना मांडलगढ पहुँचा जहा। दिनांक 18.12.2023 को परिवादी संजय सिंह राठौर के साथ हुई मारपीट एवं मन पुलिस निरीक्षक व एसीबी जाप्ते के उपर हुए हमले तथा राजकार्य में बाधा संबंधी टाईपशुदा रिपोर्ट एसडीएम मांडलगढ महेश गगोरिया व तहसीलदार मांडलगड राहुल घाकड व अन्य के विरूद्ध थानाधिकारी थाना मांडलगढ के नाम पेश की । दिनांक 18.12.2023 को परिवादी संजय सिंह राठौर के साथ हुई मारपीट एवं मन पुलिस निरीक्षक व एसीबी जाप्ते के उपर हुए हमले तथा राजकार्य में बाधा संबंधी टाईपशुदा रिपोर्ट एसडीएम मांडलगढ महेश गगोरिया व तहसीलदार मांडलगड राहुल घाकड व अन्य के विरूद्ध थानाधिकारी थाना मांडलगढ के नाम पेश की थी जिस पर पुलिस थाना मांडलगढ में एफआईआर दर्ज 351/2023 धारा 323,341,332,353,504,356,34 आईपीसी में दर्ज कर मन पुलिस निरीक्षक एवं परिवादी संजय सिंह का मेडिकल मुआयना करवा एवं बाद मेडिकल मुआयना एफआईआर की एक प्रति प्राप्त कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं हमाराही जाप्ते मय लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स आदि के सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय कोटा के लिए दिनांक 19.12.2023 को समय 02.00 एएम पर रवाना हुआ। समय 03.40 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं हमाराही जाप्ते मय लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स आदि के सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय कोटा पहुँचा जहां परिवादी की पेंट में रखी रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता से निकलवा कर रिश्वत राशि, डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं आरोपी के मोबाईल का शील्डशुदा पैकेट तथा ट्रेप बॉक्स आदि मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह कानि 159 को सौंप कर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 19.12.2023 को समय 04.10 एएम पर परिवादी श्री संजय सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज व श्री विकास गुप्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु समय सुबह करीब 11 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज व श्री विकास गुप्ता प्रथक प्रथक कार्यालय हाजा में उपस्थित आए। समय 12.40 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह ने स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज व श्री विकास गुप्ता के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आरोपियों को मुझ पर पूरा शक हो गया है तथा मेरे

साथ मारपीट भी कर दी है इसलिए अब वो मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करगें । इसलिए मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50 हजार रूपये वापस लौटाने की कृपा करे। अतः मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह कानि 159 से मालखाने में रखे रिश्वत राशि 50 हजार रूपये डिजिटल वॉईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में प्रयोग किए गए मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया। समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 11.12.2023 को मन पुलिस निरीक्षक को आरोपीयों के लिए दी जाने वाली रिश्वत राशि 50 हजार रूपये को स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज एवं विकाश गुप्ता के समक्ष जर्ये फर्द सुपुर्दगी वापस लौटाई गई। समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री संजय सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज व श्री विकास गुप्ता के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को परिवादी संजय सिंह राठौड एवं आरोपी राहुल घाकड तहसीलदार के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 11.12.2023 को परिवादी संजय सिंह राठौड एवं आरोपी राहुल धाकड तहसीलदार के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता तथा दिनांक 18.12.2023 को परिवादी संजय सिंह राठौड एवं आरोपी महेश गगोरिया एसडीएम मांडलगढ व आरोपी राहुल धाकड तहसीलदार के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता की तीनों रिकार्डिंगों को लेपटॉप की सहायता से श्री बृजराज सिंह हैड कानि 144 से पेन ड्राईवों में पेस्ट करवा पांच पेन ड्राईव तैयार करवाए गए। जिसमें से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज/एफएसएल के लिए, दो पेन ड्राईव दोनों आरोपीगणों के लिए एवं दिनांक 27.09.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डिग में प्रयोग किए गए मूल मैमोरी कार्ड व दिनांक 11.12.2023 तथा 18.12.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वाताओं में प्रयोग में लिए गए मूल मैमोरी कार्ड को प्रथक प्रथक कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया गया। एक पेन ड्राईव अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव एवं जप्ती मैमोरी कार्ड प्रथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी बृजराज सिंह कानि 159 से मालखाना में रखवाया गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री संजय सिंह की सास श्रीमती बिमला भदौरिया पत्नी ससुर श्री चन्द्रवीर सिंह शक्तावत ग्राम श्यामपुरा पंचायत समिति बिजोलिया तहसील मांडलगढ में कृषि भूमि पटवार हल्का श्यामपुरा के खाता संख्या 124 की आराजी संख्या 1000,1019,891,892,893,894,898,8999,900,901,902,903 तथा खाता संख्या 123 के आराजी संख्या 1692,1693,1695,1697,1698, 1699,1700,1701,1702, 1703,1704,1771,1772 के कागजातों में कमलेन्दु कंवर का स्वयं का तथा उसकी पुत्री देवांगनी का नाम चढवा दिया था । जबकि श्री चन्द्रवीर सिंह के वास्तिविक वारिस परिवादी की सास विमला भदौरिया तथा उसकी पत्नी दर्पण थी। उक्त दोषपूर्ण कार्यवाही के विरोध में परिवादी की सास श्रीमती बिमला भदोरिया ने एसडीएम ऑफिस माण्डल गढ से उक्त भूमि में यथास्थिति का स्टे आदेश लिया था। वर्तमान में माण्डलगढ तहसील में पदस्थापित राहुल धाकड तहसीलदार ने परिवादी को बोला कि यह स्टे तो हटेगा। यदि स्टे जारी रखवाना है, तो एसडीओ साहब व मुझे रूपये देने पडेंगे। ऐसा कहकर उक्त राहुल तहसीलदार परिवादी से 200000 दो लाख रूपये की मांग कर रहा हैं। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.09.23 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान तहसीलदार राहुल धाकड ने कहा कि "सामने वाली पार्टी 50 हजार ऑफर करके गई है। आप उतना ही कर दोगे तो स्टे लगा रहेगा। " इस प्रकार आरोपी राहुल धाकड ने परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की, दिनांक 11.12.2023 दौराने रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता में आरोपी राहुल घाकड ने परिवादी से कहा कि एसडीएम साहब आपके काम के लिए वन प्वाईट फाईव की कह रहे है। मैं आपकी एसडीएम साहब से सीधी वार्ता करवा दूंगा। दिनांक 11.12.2023 को हुई वार्ता के क्रम में दिनांक 18.12.2023 को एसडीएम महेश गगोरिया ने परिवादी से न्यायालय उपखण्ड माण्डलगढ मे चल रहे बाद में ताफैसला स्टे लगवाने के संबंध में वार्ता की गई तथा परिवादी द्वारा राहुल धाकड तहसीलदार द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में बताकर अभी 50 हजार रूपये साथ लेकर आने की कहने पर सहमती जाहिर करते हुए परसों आने के लिए कहा गया एवं आरोपी को परिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। श्री राहुल धाकड पुत्र श्री भूदेव सिंह उम्र 32 साल निवासी बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर हाल तहसीलदार तहसील मांडलगढ जिला भीलवाडा एवं श्री महेश गगोरिया पुत्र श्री भैरूलाल गगोरिया जाति रेगर उम्र 27 साल निवासी शिव कुटीर शास्त्रीनगर कांकरोली राजसमंद हाल उप खण्ड अधिकारी उप खण्ड मांडलगढ जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(देशराज)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महेश गगोरिया पुत्र श्री भैरूलाल गगोरिया, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री राहुल धाकड़ पुत्र श्री भूदेव सिंह, तहसीलदार, तहसील मांडलगढ, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 308/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3154-58 दिनांक 22.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
2. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।